



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-31032021-226277
CG-MH-E-31032021-226277

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 131]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 30, 2021/चैत्र 9, 1943

No. 131]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 30, 2021/CHAITRA 9, 1943

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 30 मार्च, 2021

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड
(मर्चेट बैंककार) (संशोधन) विनियम, 2021

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/13.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेट बैंककार) विनियम, 1992 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेट बैंककार) (संशोधन) विनियम, 2021 कहा जा सकेगा।
- वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त (लागू) होंगे।
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेट बैंककार) विनियम, 1992 में,-
 - विनियम 2 में,
 - खंड (कक) निम्नलिखित खंड से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

“(कक) “निगमित निकाय” (बॉडी कारपोरेट) का वही अर्थ होगा, जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (11) में या के तहत उसके लिए नियत हो;”

- ii. खंड (कघ) में, उप-खंड (i) में, शब्द, चिह्न तथा अंक “भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 1997 के विनियम 12”, शब्दों, चिह्नों तथा अंकों “अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (ज) के तहत बनाए गए विनियमों” से प्रतिस्थापित हो जाएंगे;
- iii. खंड (च) का लोप हो जाएगा;
- iv. खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित नए खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्,-

“(छ) “हामीदार” (अंडरराइटर) से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जो निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) की प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) के निर्गम (इश्यू) की हामीदारी (अंडरराइटिंग) के कारोबार में लगा होता है;

(ज) “हामीदारी” से ऐसा करार (एग्रीमेंट) अभिप्रेत है, जो उतनी प्रतिभूतियों [जिनका निर्गम (इश्यू) या विक्रय के लिए प्रस्ताव (ऑफर फॉर सेल) लाया गया हो] में पैसा लगाने (में अभिदान / को सब्सक्राइब करने) या में पैसा लगवाने (में अभिदान / को सब्सक्राइब करवाने) के लिए किया गया हो, जितनी प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में पैसा न लगा हो।”

- II. विनियम 2 उसके उप-विनियम (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित हो जाएगा, और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित किए गए उप-विनियम के पश्चात्, निम्नलिखित नया उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

“(2) इन विनियमों में उपयोग किए गए किंतु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे, जो, यथास्थिति, अधिनियम या प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) [सिक्यूरिटीज़ कॉण्ट्रैक्ट्स (रेग्यूलेशन) एक्ट, 1956], या निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) [डिपॉजिटरीज़ एक्ट, 1996], या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) या उनके तहत बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों (रेग्यूलेशन्स) अथवा उनके किसी कानूनी संशोधन या उनकी पुनःअधिनियमिति में उनके लिए नियत हों।”

- III. विनियम 9क में, उप-विनियम (1) में, खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

“(छ) जहाँ मर्चेट बैंककार हामीदार (अंडरराइटर) के रूप में कार्य कर रहा हो, वहाँ वह उस निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) के साथ एक मान्य करार (एग्रीमेंट) करेगा जिसकी ओर से वह हामीदार के रूप में कार्य कर रहा हो, और वह हामीदार के रूप में उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों आदि के संबंध में अधिनियम के तहत बनाए गए विनियमों (रेग्यूलेशन्स) का पालन करेगा।”

- IV. विनियम 14 में, उप-विनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

“(4) हामीदार के रूप में कार्य करने वाला प्रत्येक मर्चेट बैंककार निम्नलिखित रिकॉर्ड भी रखेगा -

- (i) उस निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) के साथ किए गए सभी करारों (एग्रीमेंट) के व्यौरों का, जिसकी ओर से वह हामीदार के रूप में कार्य कर रहा हो;

- (ii) प्रत्येक निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) की उन प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) की कुल संख्या का [करार के अनुसार जिनमें पैसा लगाया गया (अभिदान / सब्सक्रिप्शन किया गया)];
- (iii) पूँजी पर्याप्तता (कैपिटल ऐडिक्वैसी) संबंधी अपेक्षाओं के विवरण का;
- (iv) ऐसे अन्य रिकॉर्ड, जो बोर्ड समय-समय पर रखने को कहे।”

V. विनियम 22 में, शब्द, चिह्न तथा अंक “भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2009 के अध्याय Xक”, शब्दों, चिह्नों और अंकों “भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 के अध्याय-VIII” से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।

VI. विनियम 22 के पश्चात्, निम्नलिखित नए विनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्-

“ग्राहकों के साथ करार (एग्रीमेंट)

22क. हामीदार (अंडरराइटर) के रूप में कार्य करने वाला प्रत्येक मर्चेट बैंककार उस प्रत्येक निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) के साथ करार (एग्रीमेंट) करेगा, जिसकी ओर से वह हामीदार के रूप में कार्य कर रहा हो, और उस करार में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित का उल्लेख होगा, अर्थात्-

- (i) वह अवधि, जब तक करार लागू रहेगा;
- (ii) हामीदार और ग्राहक के क्या-क्या कर्तव्य होंगे और उनकी क्या-क्या जिम्मेदारियाँ होंगी;
- (iii) कितनी रकम तक की हामीदारी की जाएगी;
- (iv) वह अवधि, जिसके भीतर ऐसे निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) द्वारा या की ओर से सूचित किए जाने के बाद हामीदार को निर्गम (इश्यू) में पैसा लगाना होगा (में अभिदान / को सब्सक्राइब करना होगा);
- (v) हामीदार को अदा किए जाने वाले कमीशन या दलाली की रकम;
- (vi) हामीदारी संबंधी बाध्यताओं को पूरा करने के लिए हामीदार द्वारा किए गए इंतजामों (अरेंजमेंट्स), यदि कोई हों, के ब्यौरे।

हामीदार के तौर पर मर्चेट बैंककार की सामान्य जिम्मेदारियाँ

22ख. (1) हामीदार के रूप में कार्य करने वाला मर्चेट बैंककार, हामीदारी करने के लिए ग्राहक के साथ किए गए करार (एग्रीमेंट) के तहत अदा किए जाने वाले कमीशन या दलाली के सिवाय, निर्गम (इश्यू) की हामीदारी से प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कोई और फायदा नहीं लेगा।

(2) किसी भी समय, सभी करारों के तहत कुल मिलाकर की जाने वाली हामीदारी मर्चेट बैंककार की शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) के बीस गुना से अधिक नहीं होगी।

(3) हामीदार के रूप में कार्य करने वाला प्रत्येक मर्चेट बैंककार, हामीदारी करने के लिए किए गए करार (एग्रीमेंट) के अनुसार निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) की प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में पैसा लगाने (में अभिदान / को सब्सक्राइब करने) की अपेक्षा किए जाने पर, ऐसे निगमित निकाय की ओर से ऐसी सूचना प्राप्त होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर ऐसी प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में पैसा लगाएगा (में अभिदान / को सब्सक्राइब करेगा)।”

VII. अनुसूची III में, खंड 32 के पश्चात्, निम्नलिखित नए खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्-

“33. मर्चेट बैंककार या उसके निदेशकों, भागीदारों (पार्टनर्स) या प्रबंधक में से कोई, जिसके हाथों में पूरे कारोबार का या अधिकांश कारोबार का प्रबंधन हो, न तो अपनी ओर से और न ही अपने सहयोगियों (सहयुक्तों / असोसिएट्स) या परिवार के सदस्यों, नातेदारों या मित्रों के माध्यम से किसी अंतरंग व्यापार (इनसाइडर ट्रेडिंग) में लिप्त होगा।

34. हामीदार के रूप में कार्य करने वाला मर्चेट बैंककार, न तो मौखिक रूप में और न ही लिखित रूप में, ऐसा कोई बयान देगा, जिससे –

(क) उन सेवाओं के बारे में गलत जानकारी मिलती हो, जो हामीदार अपने ग्राहक को देने में समर्थ हो, या जो हामीदार ने किसी दूसरी निर्गमकर्ता (इश्युअर) कंपनी को प्रदान की हो;

(ख) उसकी हामीदारी संबंधी प्रतिबद्धता के बारे में गलत जानकारी मिलती हो।

35. हामीदार के रूप में कार्य करने वाला मर्चेट बैंककार ऐसी किसी अनुचित प्रतिस्पर्धा में लिप्त नहीं होगा, जिससे हामीदार के रूप में कार्य करने वाली दूसरी एंटिटियों के हित को नुकसान हो सकता हो, या फिर कोई कार्य आदि अपने हाथ में लेते समय या कोई कार्य आदि करते समय वह ऐसा कुछ नहीं करेगा जो ऐसे अन्य हामीदारों के लिए अहितकर हो।”

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन –III/4/असा./567/2020-21]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेट बैंककार) विनियम, 1992, सं. एलई/11112/92 द्वारा, 22 दिसम्बर, 1992 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेट बैंककार) विनियम, 1992 तत्पश्चात् –

- i. 7 सितम्बर, 1995 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेट बैंककार) (संशोधन) विनियम, 1995, सं. भाप्रविबो/एलई/1/9/95, द्वारा
- ii. 28 नवम्बर, 1995 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 1995, सं. का.आ. 939(अ), द्वारा
- iii. 6 जून, 1996 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेट बैंककार) (संशोधन) विनियम, 1996, सं. भाप्रविबो/एलई/III/5/96, द्वारा
- iv. 9 दिसम्बर, 1997 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेट बैंककार) (संशोधन) विनियम, 1997, सं. का.आ. 837 (अ), द्वारा
- v. 15 दिसम्बर, 1997 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेट बैंककार) (संशोधन) विनियम, 1997, सं. का.आ. 869 (अ), द्वारा

- vi. 21 जनवरी, 1998 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेट बैंककार) (संशोधन) विनियम, 1998, सं. का.आ. 74 (अ), द्वारा
- vii. 30 सितम्बर, 1999 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेट बैंककार) (संशोधन) विनियम, 1999, सं. का.आ. 799 (अ), द्वारा
- viii. 17 नवम्बर, 1999 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेट बैंककार) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1999, सं. का.आ. 1119 (अ), द्वारा
- ix. 28 मार्च, 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील) (संशोधन) विनियम, 2000, सं. का.आ. 278 (अ), द्वारा
- x. 29 मई, 2001 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्तियों द्वारा विनिधान सलाह) (संशोधन) विनियम, 2001, सं. का.आ. 476(अ), द्वारा
- xi. 27 सितम्बर, 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002, सं. का.आ. 1045(अ), द्वारा
- xii. 1 अक्तूबर, 2003 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेट बैंककार) (संशोधन) विनियम, 2003, सं. का.आ. 1154(अ), द्वारा
- xiii. 10 मार्च, 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति के लिए मानदंड) विनियम, 2004, का.आ. सं. 398(अ), द्वारा
- xiv. 18 अप्रैल, 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेट बैंककार) (संशोधन) विनियम, 2006, सं. का.आ. 560(अ), द्वारा
- xv. 3 मई, 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेट बैंककार) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2006, सं. का.आ. 640(अ), द्वारा
- xvi. 7 सितम्बर, 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेट बैंककार) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2006, सं. का.आ. 1448(अ), द्वारा
- xvii. 28 मई, 2007 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेट बैंककार) (संशोधन) विनियम, 2007, अधिसूचना सं. 11/एलसी/जीएन/2007/2517, द्वारा
- xviii. 31 मार्च, 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2008, फा.सं. 11/एलसी/जीएन/2008/21669, द्वारा
- xix. 26 मई, 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008, अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/11/126538, द्वारा
- xx. 26 अगस्त, 2009 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2009, अधिसूचना सं. एलएडी/एनआरओ/जीएन/2009-10/15/174471, द्वारा
- xxi. 13 अप्रैल, 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेट बैंककार) (संशोधन) विनियम, 2010, अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2010-11/04/1109, द्वारा

- xxii. 19 अप्रैल, 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कुछ मध्यवर्तियों [इंटरमीडियरीज़] के रजिस्ट्रीकरण की शर्तों में परिवर्तन) (संशोधन) विनियम, 2011, अधिसूचना सं. एलएडी/एनआरओ/जीएन/2011-12/03/12650, द्वारा
- xxiii. 5 जुलाई, 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेन्ट बैंककार) (संशोधन) विनियम, 2011, अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-12/09/21233, द्वारा
- xxiv. 16 अगस्त, 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेन्ट बैंककार) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2011, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.एन.आर.ओ./जी.एन./2011-12/17/26149, द्वारा
- xxv. 29 मार्च, 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेन्ट बैंककार) (संशोधन) विनियम, 2012, अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-12/40/7335, द्वारा
- xxvi. 23 मई, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/03/1089, द्वारा
- xxvii. 8 दिसम्बर, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [कुछ मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) के रजिस्ट्रीकरण की शर्तों में परिवर्तन] (संशोधन) विनियम 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/023, द्वारा
- xxviii. 29 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/038, द्वारा
- xxix. 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2020/10, द्वारा

संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 30th March, 2021

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

(MERCHANT BANKERS) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2021

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/13.—In exercise of the powers conferred under Section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to amend the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Regulations, 1992, namely: –

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) (Amendment) Regulations, 2021.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Regulations, 1992, –
 - I. In regulation 2,
 - i. in clause (aa), the words and symbols “clause (7) of section 2 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956)” shall be replaced with the words and symbols “clause (11) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013)”.
 - ii. in clause (ad), in sub-clause (i), the words and symbols “regulation 12 of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 1997”

- shall be replaced with the words and symbols “regulations framed under clause (h) of sub-section (2) of section 11 of the Act”;
- iii. clause (f) shall be omitted;
- iv. after clause (f), the following new clauses shall be inserted, namely—
- “(g) “underwriter” means a person who engages in the business of underwriting of an issue of securities of a body corporate;
- (h) “underwriting” means an agreement to subscribe to or procure subscription for securities, issued or offered for sale, remaining unsubscribed.”
- II. The regulation 2 shall be re-numbered as sub-regulation (1) thereof, and after the sub-regulation so re-numbered the following new sub-regulation shall be inserted, namely—
- “(2) Words and expressions used but not defined in these regulations shall have the same meaning as have been assigned to them under the Act or the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), or the Depositories Act, 1996 (22 of 1996), or the Companies Act, 2013 (18 of 2013) or any rules or regulations made thereunder or any statutory modification or re-enactment thereto, as the case may be.”
- III. In regulation 9A, in sub-regulation 1, after clause (f), the following new clause shall be inserted, namely —
- “(g) where the merchant banker is acting as an underwriter, it shall enter into a valid agreement with the body corporate on whose behalf it is acting as an underwriter and shall abide by the regulations made under the Act in respect of the activities carried on by it as underwriter.”
- IV. In regulation 14, after sub-regulation 3, the following new sub-regulation shall be inserted, namely—
- “(4) Every merchant banker acting as an underwriter shall also maintain the following records with respect to—
- (i) details of all agreements entered with a body corporate on whose behalf it is acting as an underwriter;
- (ii) total amount of securities of each body corporate subscribed to in pursuance of an agreement;
- (iii) statement of capital adequacy requirements;
- (iv) such other records as may be specified by the Board from time to time.”
- V. In regulation 22, the words and symbols “Chapter XA of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009” shall be replaced with the words and symbols “Chapter VIII of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018”.
- VI. After regulation 22, the following new regulations shall be inserted, namely—
- “Agreement with clients.**
- 22A. Every merchant banker acting as an underwriter shall enter into an agreement with each body corporate on whose behalf it is acting as an underwriter and the said agreement shall, amongst other things, provide for the following, namely—
- (i) the period for which the agreement shall be in force;
- (ii) the allocation of duties and responsibilities between the underwriter and the client
- (iii) the amount of underwriting obligations;
- (iv) the period, within which the underwriter has to subscribe to the issue after being intimated by or on behalf of such body corporate;
- (v) the amount of commission or brokerage payable to the underwriter;
- (vi) details of arrangements, if any, made by the underwriter for fulfilling the underwriting obligations.

General responsibilities of a merchant banker as an underwriter.

22B. (1) A merchant banker acting as an underwriter shall not derive any direct or indirect benefit from underwriting the issue other than the commission or brokerage payable under the agreement for underwriting entered with client.

(2) At any point of time, the total underwriting obligations under all the agreements shall not exceed twenty times of the net worth of the merchant banker.

(3) Every merchant banker acting as an underwriter, in the event of being called upon to subscribe for securities of a body corporate pursuant to an agreement for underwriting, shall subscribe to such securities within 45 days of the receipt of such intimation from such body corporate.”

VII. In schedule III, after clause 32, the following new clauses shall be inserted, namely—

“33. A merchant banker or any of its directors, partners or manager having the management of the whole or substantially the whole of affairs of the business, shall not either through its account or their respective accounts or through their associates or family members, relatives or friends indulge in any insider trading.

34. A merchant banker acting as an underwriter shall not make any statement, either oral or written, which would misrepresent—

(a) the services that the underwriter is capable of performing for its client, or has rendered to any other issuer company;

(b) his underwriting commitment.

35. A merchant banker acting as an underwriter shall not indulge in any unfair competition, which is likely to be harmful to the interest of other entities acting as underwriters carrying on the business of underwriting or likely to place such other underwriters in a dis-advantageous position in relation to the underwriter while competing for, or carrying out any assignment.”

AJAY TYAGI, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./567/2020-21]

Footnotes:

1. The Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Regulations, 1992 was published in the Gazette of India on December 22, 1992 vide No. LE/11112/92.
2. The Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Regulations, 1992 was amended -
 - i. on September 7, 1995 by the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Amendment Regulations, 1995 vide No. SEBI/LE/1/9/95;
 - ii. on November 28, 1995 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) Amendment Regulations, 1995 vide No. S.O. 939 (E);
 - iii. on June 6, 1996 by the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Amendment Regulations, 1996 vide SEBI/LE/III/5/96;
 - iv. on December 9, 1997 by the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Amendment Regulations, 1997 vide No. S.O. 837 (E);
 - v. on December 15, 1997 by the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Amendment Regulations, 1997 vide No. S. O. 869(E);
 - vi. on January 21, 1998 by the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Amendment Regulations, 1998 vide No. S.O. 74 (E);
 - vii. on September 30, 1999 by the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) (Amendment) Regulations, 1999 vide No. S.O. 799 (E);
 - viii. on November 17, 1999 by the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) (Second Amendment) Regulations, 1999 vide No. S.O. 1119 (E);
 - ix. on March 28, 2000 by the Securities and Exchange Board of India (Appeal to the Securities Appellate Tribunal) (Amendment) Regulations, 2000 vide No. S.O. 278 (E);

- x. on May 29, 2001 by the Securities and Exchange Board of India (Investment Advice by Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2001 vide No. S.O. 476 (E);
- xi. on September 27, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002 vide No. S.O. 1045 (E);
- xii. on October 1, 2003 by the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) (Amendment) Regulations, 2003 vide No. S.O. 1154 (E);
- xiii. on March 10, 2004 by the Securities and Exchange Board of India (Criteria for Fit and Proper Person) Regulations, 2004 vide S.O. No. 398(E);
- xiv. on April 18, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) (Amendment) Regulations, 2006 vide No. S.O. 560 (E);
- xv. on May 3, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) (Second Amendment) Regulations, 2006 vide No. S.O. 640 (E);
- xvi. on September 7, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) (Third Amendment) Regulations, 2006 vide No. S.O. 1448 (E);
- xvii. on May 28, 2007 by the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) (Amendment) Regulations, 2007 vide Notification No.11/LC/GN/2007/2517;
- xviii. on March 31, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2008 vide F. No. 11/LC/GN/2008/21669;
- xix. on May 26, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2008/11/126538;
- xx. on August 26, 2009 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 vide Notification No. LAD/ NRO/GN/2009-10/15/174471;
- xxi. on April 13, 2010 by the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) (Amendment) Regulations, 2010 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2010-11/04/1109;
- xxii. on April 19, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Change in Conditions of Registration of Certain Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2011 vide Notification No. LAD/ NRO/GN/ 2011-12/03/12650;
- xxiii. on July 5, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) (Amendment) Regulations, 2011 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2011-12/09/21233;
- xxiv. on August 16, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) (Second Amendment) Regulations, 2011 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2011-12/17/26149;
- xxv. on March 29, 2012 by the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) (Amendment) Regulations, 2012 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2011-12/40/7335;
- xxvi. on May 23, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2014 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2014-15/03/1089;
- xxvii. on December 8, 2016 by the Securities and Exchange Board of India (Change in Conditions of Registration of Certain Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2016 vide Notification No. SEBI/LAD/NRO/GN/ 2016-17/023;
- xxviii. on March 29, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/38;
- xxix. on April 17, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.